न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगागनर

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम 1994

प्रकरण सं0 14/2019

अनवानी दीपक लूणा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 10, गांव 22 ए एस ए, ग्राम पंचायत 6 डी डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. स्टेट जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत), घडसाना
2. इमीलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी 6 डी डी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर
3. बीकर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डीडी ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम 1994

प्रकरण सं0 15/2019

अनवानी रामेश्वरी पत्नी दीपक लूणा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 10, गांव 22 ए एस ए, ग्राम पंचायत 6 डी डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. स्टेट जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत), घडसाना
2. इमीलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी 6 डी डी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर
3. बीकर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डीडी ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
4. कालूराम पुत्र प्रभुराम जाति सांसी निवासी 6 डीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम 1994

प्रकरण सं0 16/2019

अनवानी जमना देवी पत्नी मोडूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 10, गांव 22 ए एस ए, ग्राम पंचायत 6 डी डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. स्टेट जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत), घडसाना
2. इमीलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी 6 डी डी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर
3. बीकर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डीडी ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
4. कालूराम पुत्र प्रभुराम जाति सांसी निवासी 6 डीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दीपक लूणा, रामेश्वरी देवी एवं जमना देवी की ओर से श्री जगमोहन आहुजा, अभिभाषक एवं अप्रार्थी इमीलाल व बीकर सिंह की ओर से श्री किशोर स्वामी, अभिभाषक एवं अप्रार्थी कालूराम की ओर से श्री सुरेश अरोड़ा, अभिभाषक उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता इमीलाल, बीकर सिंह एवं कालूराम द्वारा अलग अलग प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट बनाने हेतु प्रस्तुत किये गये है, जो शामिल पत्रावली किये गये। अभिभाषक अपीलार्थी को शिकायतकर्त्ता को रेस्पोडेंट बनाने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए **शिकायतकर्त्ता इमीलाल, बीकर सिंह एवं कालूराम को रेस्पोडेंट बनाया जाता है। सम्बन्धी अपील पत्र में इनका नाम दर्ज किया जावे।**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

दीपक लूणा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल, रामेश्वरी देवी पत्नी दीपक लूणा एवं जमना देवी पत्नी मोडूराम के द्वारा गांव 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) की मतदाता सूची से अपना अपना वोट कटवाकर चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में वोट बनवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घडसाना को प्रस्तुत किये जो बाद जांच उनके द्वारा अपीलार्थीगण दीपक लूणा, रामेश्वरी देवी एवं जमना देवी के चक 22 एएस''ए''ग्राम पंचायत 6 डीडी में वोट जोड़ने/बनाने सम्बन्धी आवेदन पत्र खारिज कर दिये, जिसकी अप्रसन्नता से **अपील संख्या 14/2019—दीपक लूणा द्वारा, अपील संख्या 15/2019 — रामेश्वरी देवी द्वारा एवं अपील संख्या 16/2019 —जमना देवी द्वारा यह अपीलें इस न्यायालय में पेश की गई है।**

चूंकि उक्त तीनों अपीलार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) से ग्राम 22 एएस''ए''ग्राम पंचायत 6 डीडी में नाम जुड़वाने की प्रार्थना की है और तथ्य भी एक समान है। इसलिए **उक्त तीनों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित है और निर्णय की एक—एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल की जावे।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। और पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा ने कथन किया है कि उनके द्वारा चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) से अपना वोट कटवाकर चक 22 एएस''ए''ग्राम पंचायत 6 डीडी में अपना वोट जुड़वाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रार्थना की थी, जो गैर कानूनी रूप से इस आधार पर खारिज कर दी कि वहां के साधारणतः निवासी नहीं है। जबकि निवास के आधार पर उनकी अपील स्वीकार करने योग्य है।

उनके द्वारा इकरारनामा दिनांक 21.05.2019 के आधार पर यह भी कथन किया कि उक्त इकरारनामा जिसके द्वारा अपीलार्थी जमना देवी व रामेश्वरी देवी के द्वारा चक 22 एएस''ए''पटवार हल्का 6 डीडी तहसील घडसाना के पत्थर नम्बर 126/56 मु. नलं. 26 के किला नं 2 ता 8, 14/2 15 कुल 2.065 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि मय ढाणी में से किला नं 05 में 0.253 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि मय कच्ची पक्की ढाणी सहित रूपा देवी पत्नी कृष्ण लाल से खरीद की है और उक्त कृषि भूमि के किला नं. 5 में बनी ढाणी में लगभग छः माह से निवास कर रहे है और मौका पर भी प्रगणक द्वारा जांच के समय उक्त ढाणी में उपस्थित मिले। इसके बावजूद भी गलत रूप से जांच रिपोर्ट में कांट छांट करके उनका नाम चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) से उनका वोट काटने व चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी सम्बन्धी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये है, जो सही नहीं है। इसलिए उनकी अपील स्वीकार करके चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में उनके नाम निवास के आधार पर जोड़े जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट का यह कहना सही नहीं है कि जमना देवी सरपंच है और वह 6 डीडी में चुनाव लड़ने की नियत

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

से अपीलार्थीगण अपने वोट बनाना चाहते है जो सही नही है जमना देवी कभी भी सरपंच नही रही बल्कि उसका पुत्र अर्जुनराम सरपंच है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रामेश्वरी देवी का विवाह से पूर्व उसका वोट चक 22 एएस''ए''ग्राम पंचायत 6 डीडी में बना हुआ था और उसका आधार कार्ड भी वहां का ही बना हुआ है और विवाह के बाद वे चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) में पति के साथ उसका वोट बना हुआ है और अब वह चक 22 एएस''ए'' में रही है इसलिए चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में वोट बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदन पत्र के साथ अपीलार्थीगण द्वारा नाम जुड़वाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये उपसरपंच ग्राम पंचायत 6 डीडी सुषमा कुमारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र दिनांक 08.12.2019 एवं अपीलार्थीगण के शपथ पत्र दिनांक 06.12.2019 एवं कृषि भूमि खरीद सम्बन्धी इकरारनामा के आधार पर अपीलार्थीगण का लगातार निवास साबित है और मौके पर भी जांच के दौरान अपीलार्थीगण उपस्थित मिले। इसके बावजूद भी उसके आवेदन पत्रों को पूर्व में स्वीकार योग्य मानकर और बाद में कांट छांट करके अपीलार्थीगण के चक 22 एएस''ए'' में नाम जुडवाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज किये है। इसलिए उनकी अपील स्वीकार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, घडसाना का चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में नाम न जोड़े जाने का आदेश निरस्त करने योग्य है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट बीकर सिंह, इमीलाल एवं कालूराम के अभिभाषक सुरेश अरोड़ा और किशोर स्वामी का कथन है कि जहां तक सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार नाम जोड़ने का प्रश्न है, सरपंच ग्राम पंचायत ने पुनः जांच दिनांक 19.12.2019 में लिखा है कि अपीलार्थीगण आज दिनांक 19.12.2019 तक चक 6 डीडी के किसी भी गांव या चक में नहीं रहते है। जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि अपीलार्थी का निवास स्थान चक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2 जेएसम ग्राम पंचायत 2 केएम (डब्बर) है। इसके साथ ही स्वयं उप सरपंच सुषमा कुमारी ग्राम पंचायत 6 डीडी ने दिनांक 20.12.2019 को प्रमाण पत्र जारी किया है कि जमना देवी, रामेश्वरी देवी एवं दीपक लूणा के निवास स्थान की जो रिपोर्ट पूर्व में दी गई है वह सही नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी के निवासी नही है। इसलिए अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र सही रूप से खारिज किये गये है।

उनका आगे यह भी कहना है कि जहां तक उनके द्वारा शपथ पत्रों दिनांक 06.12.2019 को निवास का आधार बनाने का प्रश्न है, उसमें अपीलार्थीगण ने अपने आप को चक 2 जेएसएम का निवासी बताकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 06.12.2019 तक उनका निवास स्थान चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) ही पाया गया। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने योग्य है।

तहसीलदार, घड़साना की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.19 का हवाला देते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण मनरेगा में काम करते है और उनके द्वारा दिनांक 04.11.2019 तक चक 2 के एम(डब्बर) में ही भुगतान लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण चक 22 एएस''ए'' के निवासी नहीं है बल्कि 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) के निवासी है। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषि भूमि के इकरारनामा से किसी व्यक्ति को उसमें अंकित भूमि अथवा आवास के सम्बन्धम में कोई स्वामित्व नहीं मिलता, जब तक कोई रजिस्टर्ड बैयनामा न हो। इकरारनामा से कोई निवास स्थान साबित नहीं किया जा सकता है। जिस स्थान पर निवास कर रहे है उस स्थान का पानी का बिल, बिजली का बिल आदि दस्तावेज

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बतौर सबूत होना चाहिए, ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य अपीलार्थीगण ने पेश नहीं किया है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, घडसाना द्वारा पुनः जांच करवाये जाने पर अपीलार्थीगण चक 22एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी के निवास करना नहीं पाये गये है इसलिए अपीलार्थीगण के चक 22 एएस''ए'' में नाम जोड़ने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी जमना देवी सरपंच है और वह चुनाव लड़ना चाहती है। इसी उद्देश्य से वह चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में नाम जुड़वाना चाहती है। जबकि उक्त वर्णित पैरो में अंकित दस्तावेज से उनका निवास 2 जेकेएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) होना ही साबित होता है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपीले खारिज करने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों के अभिभाषकगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.12.2019 एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अपना चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) से अपना अपना वोट कटवाने एवं उसके स्थान पर चक 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में अपना वोट जुड़वाने की प्रार्थना की, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घडसाना द्वारा बाद जांच अस्वीकार कर दी गई हैं, जिसके विरूद्ध उक्त अपीलें अलग–अलग पेश की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कांट छांट की गई है, जो नहीं की जानी चाहिए। अलग से आदेश पारित किया जा सकता था। इस मामले में अपीलार्थीगण के विरूद्ध कालूराम, बीकर सिंह व ईमीलाल द्वारा अलग–अलग शिकायतें पेश करने पर जांच की

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

गई है और जांच से प्राप्त वास्तविक स्थिति के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है। इसलिए इस कांट छांट के आधार पर अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा चक 22 एसएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में निवास करने सम्बन्धी उपसरपंच, 6 डीडी सुषमा कुमारी का निवास प्रमाण पत्र दिनांक 08.12.2019 एवं स्वयं के शपथ पत्र पेश किये गये है। अप्रार्थीगण ने अपने अपने शपथ पत्र दिनांक 06.12.2019 में अपना पूर्व निवास स्थान 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) ही अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि उनका दिनांक 06.12.2019 तक निवास स्थान चक 2 जेएसएम, ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) ही था। दूसरा जो उपसरपंच सुषमा कुमारी की तस्दीक पेश की गई है, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत, 2 के एम(डब्बर) की तस्दीक दिनांक 19.12.2019 के अनुसार अप्रार्थीगण का निवास स्थान 22 एएस''ए'' नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं उपसरपंच सुषमा कुमारी स्वयं की तस्दीक दिनांक 20.12.2019 में भी उसने स्वयं स्वीकार किया है कि श्रीमती जमना देवी, रामेश्वरी एवं दीपक लूणा का निवास स्थान 22 एएस''ए'' उनसे भूलवश बिना जानकारी के रिपोर्ट दी गई थी। उक्त तीनों सदस्य आज दिनांक तक ग्राम पंचायत 6 डीडी के किसी चक में निवास नहीं कर रहे है। इसलिए उसके द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्ट निरस्त समझी जावे। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा निवास सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण चक 2जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) में ही निवास कर रहे है न कि 22 एएस''ए'' ग्राम पंचायत 6 डीडी में। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, घड़साना द्वारा भी शिकायत पत्रों के आधार पर पुनः जांच करके निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, पंचायत, घडसाना को दिनांक 20.12.2019 को अपना प्रतिवेदन पेश किया है जिसके अनुसार उक्त तीनों अपीलार्थीगण कि 22 एएस"ए" ग्राम पंचायत 6 डीडी के निवासी नहीं पाये गए है। जिनके आधार पर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र नाम चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 केएम (डब्बर) से हटाने व 22 एएस"ए" ग्राम पंचायत 6 डीडी में जोडने सम्बन्धी स्वीकार नहीं किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण दीपक लूणा, रामेश्वरी देवी एवं जमना देवी की ओर से प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घड़साना द्वारा अपीलार्थीगण के चक 22 एएस"ए" ग्राम पंचायत 6 डीडी में नाम न जोड़ने सम्बन्धी जो आदेश पारित किया गया है वह सही है और उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उसे बहाल रखा जाता है। **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घड़साना को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण के वोट चक 2 जेएसएम ग्राम पंचायत 2 के एम(डब्बर) में यथावत् रखे जावे। आदेश की प्रति मय उनका मूल रिकॉर्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घडसाना को पालनार्थ भिजवाया जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर